

J.D.A.



1460
B
21.10.24

KEY PLAN

मास्टर विकास योजना 2024 के अनुसार प्र. उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण रीति :-
1 कुल आवासीय भूखण्ड = 29
2 कुल विकास भूखण्ड = 01

AREA CALCULATION

S.N	USE	AREA IN SQ. mtr.	%
1.	RESIDENTIAL	3427.98	67.00%
2.	RETAIL COMM.	121.16	02.37%
3.	PARK	34.98	06.33%
4.	S.W.M	50.00	00.98%
5.	MOBILE TOWER	10.02	00.19%
6.	ROAD	1164.32	22.76%
TOTAL AREA		5116.76	100.00%

NAME OF SCHEME :-
SHRIDHAR CITY PRIME- II

ZONE NO.- 12

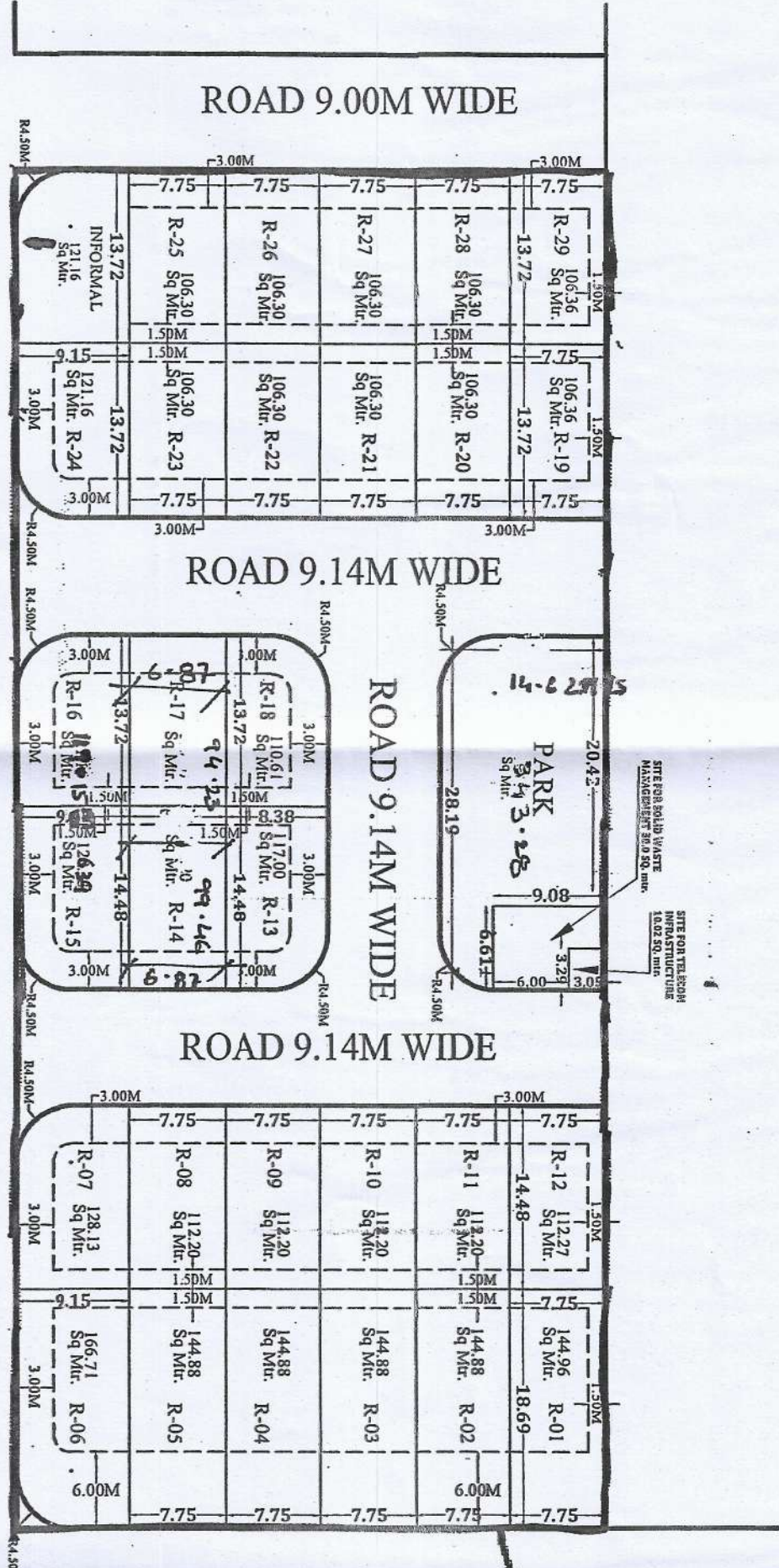
SCALE:- 1: 500

DRG. NO.

वर्षित नगर नियोजक
(क्षेत्रीय एल.पी.)

आति. मुख्य नगर नियोजक
(क्षेत्रीय एल.पी.)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR



ROAD 12.00M WIDE

ROAD 30.00M WIDE

योजना मानचित्र पर सुपर इम्पोज जेन के अमीन द्वारा किया गया है

अमीन जेन
नं. 12

नोट

- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- योजना का आवासीय प्रयोजनार्थ संप्रतिवर्तन कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक: राजस्व 18बी (9) 2003 / आर / 7336 दिनांक 02.07.2003 के द्वारा किया गया है।
- योजना की भूमि में खसरा सुपर इम्पोजिशन अमीन व तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवंटक द्वारा भूखण्ड संख्या आर-20, आर-21, आर-22, आर-23, आर-24 कुल भूखण्ड 5 कुल क्षेत्रफल 546.36 वर्गमीटर है, को जचिमा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे खन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करायकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 364 वीं बैठक दिनांक 22.08.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का प्र.उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण दर्शित है एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जेडीपी 11बी के अनुसार प्र-1 दर्शित है।
- इन्फार्मल कॉन्सिडर भूखण्ड की क्लॉनिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार किया जावेगा।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सेटबैकस जचिमा (जयपुर शीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

सहायक नगर नियोजक
जेन-12

तहसीलदार
जेन-12

उपयोगकर्ता
जेन-12

वर्षित नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

आति. मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)